

हरियाणा सरकार
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिनांक 18 अक्टूबर, 2018

संख्या 1263-कृषि अनु0 (1)-2022/6788 .-हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) में, अनुसूची में,-

- (i) भाग I में, मद 15 के सामने विद्यमान प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) भाग II में, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्;
"1. कपास बीज (बनौला)।"

डॉ० सुमिता मिश्रा, भा.प्रा.से.
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।